

24/06/24

वकील वरि उपस्थिति/ शक्ति. सं. ) का पंजीकृत  
समय पेश नहीं किया है। पूर्व में फाई अपरद  
रिमे है। तल ही अभाव में पचादली शपारिज  
की जाती है। नैष्ठ से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS No.  
2023/62

